न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/350

श्रीमती शोभारानी पत्नी दिनेश कुमार जी गुप्ता आयु 55 वर्ष जाति महाजन निवासी टंकी चौराहा जुल्मी रोड कस्बा सुकेत तहसील रामगंजमण्डी, कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र छगन लाल जी जाति मेहर निवासी कस्बा सुकेत हाल निवासी सुभाष कोलोनी खैराबाद चौराहा रामगंजमण्डी जिला कोटा ।
2. दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र तोताराम जी आयु 56 वर्ष जाति महाजन निवासी टंकी चौराहा जुल्मी रोड कस्बा सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री द्वारका लाल नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रामपुरिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खसरा नम्बर 83/3 मिन रकबा 15 बीघा हाल खसरा नम्बर 116 की रकबा 2.43 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि का एक मात्र स्वामी वादी है । प्रतिवादी सवर्ण जाति का प्रभावशाली व्यक्ति है तथा गरीब अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि को ताकत व प्रभाव के आधार पर कब्जा कर हडपना चाहता है । प्रतिवादी को वादी के खाते एवं कब्जे की भूमि पर मदाखलत व मजाहमत करने का कोई अधिकार नहीं है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 116 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादी वादी के कब्जे में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.07.2015 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.07.2015 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 116 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ लगी हुई पुराने मिन खसरा नम्बर 83/1 की 10 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ कनवर्टशुदा स्थित है । इस भूमि के नये खसरा नम्बर 119 रकबा 1.62 हैक्टर है जिसकी एकमात्र मालिक अपीलान्ट है । खसरा नम्बर 119 की भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है । खसरा नम्बर 116 पर रेस्पोडेन्ट आज तक काबिज काश्त नहीं रहा है । खसरा नम्बर 116 की भूमि मौके पर स्थित नहीं है । वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उक्त वाद में जानबूझकर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट की अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 29.05.2018 को अपीलान्ट के वैध कब्जे स्वामित्व के खसरा नम्बर 83/1 में स्थित उत्तर पश्चिमी तरफ की पत्थरों की बाउण्डरी को तोडने का प्रयास किया और भूमि पर पडे हुए चिनगारी के पत्थरों को हटाने का प्रयास किया तब हुई । जानकारी प्राप्त होने पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपीलान्ट के कब्जे स्वामित्व की पुराने खसरा नम्बर 83/1 रकबा 10 बीघा भूमि के सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, रामगंजमण्डी में अपीलान्ट को मूल वाद में बिना पक्षकार बनाये और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी जवाबदावा में वर्णित समस्त अभिवचनों और विशेष आपत्तियों के कथनों को नजर अन्दाज करते हुए अपीलान्ट को बिना सूचना, जवाब, साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये उक्त निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावति हुए हैं और वह उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने अपने हित प्रभावित होना बताया है और प्रस्तुत प्रकरण में स्वयं को हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

10. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

11. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । उक्त संलग्न दस्तावेजात में प्रतिलिपि प्रापत करने के लिए आवेदन पत्र की प्रमाणित प्रति, नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रति पेश की हैं । उक्त दस्तावेज प्रमाणित प्रतियॉ और प्रकरण से सम्बन्धित दस्तावेज हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

12. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि खसरा नम्बर 116 के दक्षिणी पश्चिमी तरफ लगी हुई पुराने मिन खसरा नम्बर 83/1 की 10 बीघा भूमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ कनवर्टशुदा स्थित है । इस भूमि के नये खसरा नम्बर 119 रकबा 1.62 हैक्टर है जिसकी एकमात्र मालिक अपीलान्ट है । खसरा नम्बर 119 की भूमि अपीलान्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की है । खसरा नम्बर 116 पर रेस्पोडेन्ट आज तक काबिज काश्त नहीं रहा है । खसरा नम्बर 116 की भूमि मौके पर स्थित नहीं है । वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने उक्त वाद में जानबूझकर अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अपीलान्ट के वैध कब्जे व स्वामित्व की आराजी खरा नम्बर 119 की भूमि उद्योग की श्रेणी की है और उद्योग श्रेणी का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में भी स्थित है । इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को काननून दावे का क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार नहीं था । दावा साक्ष्य में लम्बित था । बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.07.2015 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 482 उद्धरत की ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम रामपुरिया की आराजी साबिक खसरा नम्बर 83/3 के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि तहसीलदार, रामगंजमण्डी ग्राम रामपुरिया की भूमि खसरा नम्बर 83/3 रकबा 15 बीघा व खसरा नम्बर 83/1 रकबा 10 बीघा की पैमाईश हेतु टीम गठित कर निमयानुसार पक्षकारान की मौजूदगी में पैमाईश करवाकर निशानदेही करावे और यदि वादी या प्रतिवादी का एक–दूसरे की भूमि पर कब्जा पाया जावे तो तुरन्त सम्बन्धित को कब्जा संभलाया जावे ।

प्रस्तुत वाद में वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने आराजी साबिक खसरा नम्बर 83/3 की आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 83/1 मिन की आराजी के सम्बन्ध में भी निर्णय पारित किया है । खसरा नम्बर 83/1 मिन अपीलान्ट के खाते की आराजी है जिसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया है जबकि वह प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार थी । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार को टीम गठित कर पैमाईश करवाने व निशानदेही में वादी, प्रतिवादी का एक–दूसरे की आराजी पर कब्जा पाये जाने पर कब्जा संभलाने का आदेश दिया है । यह आदेश त्रुटिपूर्ण है क्योंकि परीक्षण न्यायालय अपने अधिकारों का अन्तरण तहसीलदार को नहीं कर सकता । तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय परीक्षण न्यायालय को ही पारित करना चाहिए । वादी का दावा स्थायी निषेधाज्ञा का है न कि बेदखली का । प्रतिवादीगण का कोई काउन्टर क्लेम भी नहीं है । ऐसी स्थिति में कब्जा संभलाये जाने का आदेश भी नहीं दिया जा सकता । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट को जवाबेदही का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.07.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए, सीपीसी की पालना करते हुए गुणावगुण के आधार पर नये से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

16. निर्णय आज दिनांक 06.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

6/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा